न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 49/2018 जिला सीकर ।
नाम पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल।

भंवरू खान पुत्र शकरू खान जाति कलाल (मुसलमान) निवासी मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर मृतक (विधिक वारिसान)

1. जैतून बानो पत्नि भवरू खां
2. असगर अली पुत्र भवरू खा (मुतक)
   2/1. रजिया बनो पत्नी असगर अली
   2/2. सोनू बानो पुत्री असगर अली
   2/3. रफीक अली पुत्र असगर अली
   2/4. रोजी बनो पुत्री असगर अली
   2/5. अनिल अली पुत्र असगर अली
3. जीत मौहम्मद पुत्र भवरू खां
   3/1. मंजू बानो पत्नि जीत मोहम्मद
   3/2. हिना बानो पुत्र जीत मोहम्मद
   3/3. राहुल अली पुत्र जीत मोहम्मद
4. असलम पुत्र भवरू खां
5. चिराग बानो पुत्री भवरू खां
6. फिरोज अली पुत्र भवरू खां
7. अय्यूब अली पुत्र भवरू खां

समस्त जाति कलाल (मुसलमान) निवासी मंगलूणा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

अपीलान्टस्

बनाम

1. जुमरदीन पुत्र स्व0 श्री शकरू खां जाति कलाल मुसलमान निवासी मंगलूणा, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर। हॉल आवाद राजलदेसर तहसील रतनगढ जिला चुरू।
2. ग्राम पंचायत मंगलूणा, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला सीकर जरिये सरपंच।
3. सचिव, ग्राम पंचायत मंगनूणा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 14.05.2018 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री अखिलेश सैनी।

निर्णय

दिनांक–25.03.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 14.05.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 24.08.2018 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा शीर्षक अपील जुमरदीन बनाम ग्राम पंचायत मंगलूणा में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 के द्वारा अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत मंगलूणा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 702 दिनांक 16.10.1977 बावत ग्राम पंचायत मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ का अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर को इस आशक के साथ रिमाण्ड किया गया कि उक्त वर्णित आराजीयात मे शकरू खां पुत्र खुदाबक्स कलाल के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की प्रकिया पूर्ण करे।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2018 से व्यथित होकर अपीलान्टस द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्टस्

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2018 को निरस्त किये जाने एवं नामान्तकरण संख्या 702 दिनांक 16.10.1977 को बहाल रखे जाने किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अधिवक्ता अपीलांटस् की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया गया कि नामान्तकरण संख्या 702 दिनांक 16.10.1977 को अपीलांट् के पक्ष में स्वीकृत किया गया जिसकी अपील रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा दिनांक 27.02.2012 को प्रस्तुत की जिससे यह कही भी स्पष्ट नही है कि इस लम्बी अवधि के दौरान विवादित भूमि की क्या स्थिति रही क्योकि इस दौरान भूमि का कई बार बेचान हुआ एवं कई पक्षकारान इस प्रकरण से संबंधित है जिनको अपील में पक्षकार नही बनाया गया। जबकि रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के समक्ष प्रस्तुत नियमित वाद उनवानी जमरूउीन बनाम हाकम अली व अन्य विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 702 दिनांक 16.10.1977 को निरस्त करने से पूर्व इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि नामान्तकरण एक फिस्कल कार्यवाही है जिसे न तो किसी पक्षकार के अधिकार तय होते है न ही अधिकार समाप्त होते है क्योंकि पक्षकारो के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है जिसमें समस्त पक्षकारो के अधिकार तय होने है। अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत आदेश पारित न कर मात्र एक संक्षिप्त आदेश पारित करते हुये महज प्रकरण को ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये एवं बिना पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये जाने की विवेचना करते हुये अपील स्वीकार कर नामान्तकरण निरस्त किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नही किया जबकि जबकि उपरोक्त अपील 35 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गयी थी जिसमें मियाद का बिन्दु तय किये बिना अपील में कोई प्रभावित आदेश पारित नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दिनांक 14.05.2018 को राजस्व लोक आदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प मंगलूणा में प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलांट् को किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस नही दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2018 को निरस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 702 दिनांक 16.10.1977 को बहाल रखा जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.05.2018 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 17.07.2018 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्टस् के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्टस् द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक शकरू खां पुत्र खुदाबक्स की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 702 दिनांक 16.10.1977 ग्राम पंचायत मंगलूणा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला सीकर के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष अपील पेश कर कथन किया गया कि वंशावली के मुताबिक खातेदार शकरू खां पुत्र खुदाबक्स कलाल निवासी मंगलूणा के पुत्र के रूप में कोई जाईन्दा पुत्र अथवा गोद का पुत्र नही था बल्की उसके दो जीवित पुत्रीयां सकीना एवं फालमा उत्पन्न हुई जो खातेदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

शकरू खां के देहात के बाद उसकी जायज उतराधिकारी व जायज वारिस संभाग रूप से बनी। शकरू खां पुत्र खुदाबक्स कलाल के करने के बाद उसकी कृषि भूमिया खसरा नम्बर 42 रकबा 8.09 है0, खसरा नम्बर 85 रकबा 4.17 है0, खसरा नम्बर 198/2 रकबा 1.71 है0, खसरा नम्बर 118 रकबा 2.38 है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 2.73 है0, खसरा नम्बर 411रकबा 0.34 है0 व खसरा नम्बर 417 रकबा 2.11 है0 कुल किता 7 रकबा 2.43 है0 भूमि ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ में 1/2 हिस्सा सकीना व उसके वारिसान का व 1/2 हिस्सा फातमा व उसके वारिसान का संभाग रूप से बना इसके अतिरिक्त अन्य कोई वारिस मृत खातेदार शकरू खां का नही है। मृत खातेदार शकरू खां की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 03 (वर्तमान अपीलांट) के द्वारा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत मंगलूणा से साज करके बिना किसी विधिक गोद पत्र के व बिना किसी सक्षम दस्तावेज के अपने आपको गलत रूप से मृत खातेदार शकरू खां का दतक पुत्र बताकर सम्पर्णू भूमियो की विरासत का नामान्तकरण संख्या 702 कतई गलत से षडयंत्र करके अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसे निरस्त फरमाया जाकर बाद जांच शकरू खां पुत्र खुदाबक्स कलाल की विरासत विधिक रूप से वास्तविक वारिसान के नाम विरासत की खातेदारी दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गई। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा शीर्षक अपील जुमरूदीन बनाम ग्राम पंचायत मंगलूणा में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 के द्वारा अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत मंगलूणा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 702 दिनांक 16.10.1977 बाबत ग्राम पंचायत मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ का अपास्त प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि उक्त वर्णित आराजीयात मे शकरू खां पुत्र खुदाबक्स कलाल के विधिक वारिसान के जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की प्रकिया पूर्ण करे।

7. हम समझते हैं कि प्रकरण मृतक खातेदार शकरू खां पुत्र खुदाबक्श कलाल की विरासत के नामान्तकरण का होने के कारण रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2018 पारित कर ग्राम पंचायत मंगलूणा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 702 दिनांक 16.10.1977 को अपास्त प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर को रिमाण्ड किया जाकर विवादित आराजीयात मे शकरू खां पुत्र खुदाबक्स कलाल के विधिक वारिसान के जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण की प्रकिया पूर्ण करने के आदेश प्रदान किये है जो उचित एवं विधिसम्यक है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई सारभूत विधिक त्रुटि कारित किया जाना नही पाया जाता है तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2018 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

25/8/2021.
(बाबूलाल मोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त जयपुर

9. निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/8/2021
(बाबूलाल मोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त जयपुर

Scanned by CamScanner